न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—64 / 2017 / 223 (2017 / 00064)

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरधन, जाति ढोली, निवासी ग्राम केसरपुरा, तहसील नसीराबादा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, नसीराबाद,जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 18.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 132 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट ।

निर्णय

दिनांकः—31.8.2018

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 18. 5.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 91, 92—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादी की आवंटनशुदा ग्राम केसरपुरा, पटवारी क्षैत्र केसरपुरा तहसील नसीराबाद में स्थित है जिसके चौसाला जमाबंदी के खसरा नंबर 449 के वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 542 / 862 तथा आधार जमाबंदी खसरा नंबर 480 रकबा 0.81 है0 है । चौसाला खसरा नंबर 449 रकबा 5 बीघा भूमि वादी लक्ष्मीनारायण ढोली को दिनांक 24.6.1965 को अलोटमेंट कमेटी स्थान ग्राम मावशिया में अलोट की गई थी तथा भूमि का कब्जा आवंटी / अपीलांट को सुपुर्द कर दिया गया था तथा आवंटन दिनांक से वादी / अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु भू—संशोधन के दौरान विवादित भूमि वर्किंग खसरा नंबर कायम करते समय नवीन खसरा नंबर 542 / 862, 542 / 861 के वर्तमान आधार जमाबंदी में बने नवीन खसरा नंबर 480 रकबा 0.81 है0, खसरा नंबर 481 रकबा 0.81 है0 को वादी के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया । अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से

पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने से पूर्व वादी को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया । विवादित भूमि वादी को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम मावशिया में आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था तथा आवंटन की दिनांक से वादी/अपीलांट आवंटित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । भू–प्रबंध विभाग ने बंदोबस्त के समय बिना किसी अधिकार एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने में त्रुटि कारित की है । बंदोबस्त विभाग का उक्त उक्त इंद्राज विधिविरूद्ध होने से दुरूस्त किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 ने वाद में आवश्यक तनकियात कायम किये बिना तथा वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो आदेश 20 नियम 5 की मंशा के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 को अपने अधिवक्ता से दिनांक 30.1.2017 को संपर्क करने पर हुई तत्पश्चात् नकल प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी/अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से विवादित भूमि राजकीय खाते में दर्ज की गई है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

6. हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2027 में विवादित आराजी खसरा नंबर 542/862 रकबा 5 बीघा लक्ष्मीनारायण वादी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है । अपीलांट का कथन रहा है कि विवादित भूमि अपीलांट/वादी को आवंटन हुई थी जो उसकी गैर खातेदारी में दर्ज थी किन्तु भूप्रबंध विभाग ने बंदोबस्त के दौरान विवादित भूमि को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया है । इसके विपरीत प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 में अपने जवाब में कथन किया है कि वादी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने से विवादित भूमि राजकीय दर्ज की गई है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया। अधी0न्याया0 ने हस्तगत प्रकरण को कैम्प मावशिया में दिनांक 18.5.2016 को निर्णित किया है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 4.4.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.5.2016 नियत

की गई थी किन्तु नियत पेशी दिनांक 23.5.2016 से पूर्व पत्रावली दिनांक 18.5.2016 को पत्रावली कैम्प मावशिया में रखी जाकर निर्णित की गई है। पत्रावली कैम्प में रखे जाने के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी को सूचना/नोटिस दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधी0न्याया0 ने वाद में विवाद बिन्दु कायम किये बिना तथा वादी/अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना वाद को कैम्प में निर्णित किया है । अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वाद एवं जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर